नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत मुजफ्फरनगर की नार्मल स्कूल कांधला रोड कस्बा बुढाना में स्थित दुकानो के ऊपर 11 दुकानो का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।इनको किराये पर उठाने के लिये प्रीमियम का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 05–03–2018 को दोपहर 1.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत मुजफ्फरनगर में किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक दुकान के लिये बोली की जमानत अंकन 50,000/–रू0 जमा कर बोली बोल सकता है। बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को सक्षम स्तर से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रीमियम के नीलाम में उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली की धनराशि का 1/2 भाग जमानत राशि को समायोजित करते हुऐ नीलाम समाप्त होने पर शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में जमा करना होगा। प्रीमियम का नीलाम शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोडा जायेगा। शेष प्रीमियम की धनराशि का 1/2 भाग दुकान पर कब्जा लेने से पूर्व जमा करना होगा।निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक सप्ताह के अन्दर तीन माह का अग्रिम किराया जमा कर निर्धारित स्टाम्प पर लीज डीड/अनुबन्ध करना होगा। नीलाम सूचना वेब–साईट www.muzaffarnagar.nic.in एवं zpmuzaffarnagar-up@gov.in पर भी देखी जा सकती है। प्रस्तावित दुकान नं0–13 का मासिक किराया 1290/–रू0 दुकान नं0 14 से 21 तक का मासिक किराया 1140/–रू0 दुकान नं0–22 का मासिक किरया 1015/–रू0 एवं दुकान नं0–23 का मासिक किराया 820/–रू0 तथा सभी दुकानो के लिये स्थानीय कर आदि अलग से देय होगा। नीलम की अन्य शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

ह0 —
अभियन्ता,
जिला पंचायत,मुजफ्फरनगर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,मुजफ्फरनगर।

कार्यालय जिला पंचायत,मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 1242/सम्पत्ति–जि0पं0/2017–18 दिनांक 8-2-2018

प्रतिलिपिः–1–सम्पादक,दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण,मुजफ्फरनगर बुलेटिन एवं मुद्गल टाईम्स,मुजफ्फरनगरको इस आशय के साथ कि उपरोक्त नीलाम सूचना अपने समाचार पत्र के निकटतम प्रकाशित होने वाले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करा कर बिल समाचार पत्र की चार प्रतियों सहित भिजवाने का कष्ट करें।

2– श्री रामनाथ सिंह,मा0 सदस्य, वित्तीय परामर्शदाता, एवं अभियन्ता, जिला पंचायत,मुजफ्फरनगर को इस आश्य से कि मा0अध्यक्ष महोदया द्वारा आपको नीलाम समिति का सदस्य नमित किया गया है अस्तु निश्चित दिनांक व समय पर अपनी उपस्थिति में नीलाम सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,ईकाइ कलैक्ट्रेट,मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त नीलाम सूचना का प्रकाशन वेब–साईट पर कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं क्षेत्रीय कर निरीक्षक जिला पंचायत,मु0नगर को इस निर्देश के साथ कि वह भी उक्त स्थल के आस पास के क्षेत्र में मुनादी आदि कराते हुऐ नीलाम का व्यापक प्रचार प्रसार कराये।

5– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

ह0/–

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
मुजफ्फरनगर।